जालौन पुलिस

112 उत्तर प्रदेश पुलिस

सराहनीय कार्य

जान से मारने की नीयत से अपराध कारित करने वाले अभियुक्त को घटना में प्रयुक्त लाइसेंसी राइफल मय कारतूस के साथ गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।



अवगत कराना है कि दिनांक **29.10.2026** को थाना स्थानीय पर आवेदिका के द्वारा जरिये प्रार्थना पत्र बताया गया कि आवेदिका अपने मकान का निर्माण कार्य करवा रही थी, जिस पर विपक्षी पड़ोसी के द्वारा मकान निर्माण कार्य करने से अनावश्यक रूप से रोका गया। जिसके सम्बन्ध में आवेदिका के द्वारा मकान निर्माण न रोके जाने पर विपक्षी के द्वारा गाली-गलौज करते हुए अपनी लाइसेंसी राइफ़ल से जान से मारने की नीयत से आवेदिका पर फ़ायर किया गया था। वादिया के तहरीर के आधार पर थाना सिरसाकलार पर **मु0अ0सं0- 116/2026** धारा 109/351(2)/352 बीएनएस बनाम 1.भानु प्रताप पुत्र स्व0 देव सिंह निवासी ग्राम बिरहरा थाना सिरसाकलार जनपद जालौन के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक जालौन श्री सुरेश चन्द्र रावत के निर्देशन में दौराने विवेचना दिनांक **30.10.2026** को थाना सिरसाकलार पुलिस द्वारा अभियुक्त भानू उपरोक्त को 01 अदद लाइसेंसी एनपीबोर राइफ़ल 315 बोर मय 01 अदद खोखा व 02 अदद जिंदा कारतूस गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

1. भानु प्रताप पुत्र स्व0 देव सिंह निवासी ग्राम बिरहरा थाना सिरसाकलार जनपद जालौन।

बरामदगी का विवरण

1. 01 अदद लाइसेंसी एनपीबोर राइफ़ल 315 बोर मय 01 अदद खोखा व 02 अदद जिंदा कारतूस।



पुलिस टीम का विवरण

1. थानाध्यक्ष सिरसाकलार मय टीम